

प्ररूप 7

[नियम 11 (3), 13 (7) (vi), 13(8) (ii) 19(4), 19(17), 62 (6)

(vii) 62 (6) (x) और 69 अ (3)]

व्यष्टि देखरेख योजना

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक
(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/पर्यवेक्षा अधिकारी का नाम.....

व्यष्टि देखरेख योजना तैयार करने की तारीख.....

20..... का मामला / प्रोफाइल संख्या.....

एफआईआर संख्या.....

धारा के अधीन (अपराध का प्रकार) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में
लागू.....

पुलिस स्टेशन.....

बोर्ड या समिति का पता.....

भर्ती संख्या (यदि बालक किसी संस्था में है)

भर्ती की तारीख (यदि बालक किसी संस्था में है)

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

(1) अल्पकालिक (छह मास तक)

(ii) मध्यकालिक (छह मास से एक वर्ष तक)

(iii) दीर्घकालिक अवधि (एक वर्ष से अधिक)

उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए, जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखा जाता है।

1. वैयक्तिक ब्यौरे (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक/ माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

क. बालक का नाम

ख. आयु / जन्म की तारीख.....

ग. लिंग: पुरुष/स्त्री.....

घ. पिता का नाम.....

ड. माता का नाम.....

च. राष्ट्रियता.....

छ. धर्म.....

- ज. जाति.....
- झ. बोली जाने वाली भाषा.. ..
2. शिक्षा का स्तर.....
 3. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 4. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों / इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
 5. बालक के माल असबाब के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 6. बालक के माता-पिता की संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 7. बालक के माता-पिता के बैंक खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 8. बालक की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो -.....
 9. 9 बालक के माता-पिता की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 10. बालक के माता-पिता की नौकरी प्रतिकर, पेंशन के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 11. बालक के जमा निक्षेपों, बचत, वित्तीय नीति, म्यूचुअल फंड के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 12. माता-पिता के ऋण, बंधक, अन्य वित्तीय देयताओं के ब्यौरे, यदि कोई हो,.....
 13. विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
 14. 14. क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं
 15. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के ब्यौरे -.....
 16. 16. क्या विधिक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं
 17. विधिक वारिस प्रमाण पत्र के ब्यौरे -.....
 18. क्या बालक अनाथ/अभित्यक्त/अभ्यर्पित है?
 19. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता क्षेत्रों और मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें, यदि कोई हों- (उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए है जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत में रखा जाता है)

क्र.सं.	प्रवर्ग	चिंता का क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग आवश्यकताएं		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5.	फुर्सत, सृजनात्मक और खेल		
6.	आसक्ति और अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे दुर्व्यापार, घरेलू		

हिंसा, पैतृक उपेक्षा, विद्यालय में भयभीत होना आदि जिसमें बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो, (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
--	--	--

20. क्या बालक के कोई भाई-बहन हैं? हां नहीं
21. क्या बालक और उसके भाई बहन को एक साथ रखा जाता है? क. हां ख. नहीं
22. क्या बालक और उसके भाई या बहन एकल माता-पिता / संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित किए जाते हैं?
क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं होता
23. भाई या बहन / भाइयों या बहनों का मामला / प्रोफाइल संख्या-
24. दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले या आवधिक रूप से बीमार बालक की दशा में (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)
- (i) क्या बालक, जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। हां/नहीं, यदि हां। कृपया दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या दर्शित करें।
- (ii) क्या ऐसे बालक को चिकित्सा उपस्कर जैसे हीयरिंग ऐड, बैसाखी आदि प्रदान किए गए हैं। हां/ नहीं। यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (iii) क्या बालक को अपनी दिव्यांगता के लिए प्रतिकर / अनुतोष प्रदान किया गया है। हां/ नहीं। यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (iv) बालक की शैक्षिक अपेक्षाएं.
- (v) बालक की कोई अन्य विशेष आवश्यकताएं.
- (vi) कोई अन्य सिफारिश.....
25. यदि बालक सड़क पर घूमने वाले हों/उनका दुर्व्यापार किया गया हो / वे ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित हों / बाल श्रमिक हों (यह यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक दोनों के लिए सुसंगत हो सकेगा।
- (i) क्या बालक सड़क पर घूमने वाला बालक है: हां/नहीं।
- (ii) क्या बालक बाल दुर्व्यापार का पीड़ित है: हां/ नहीं।
- (iii) क्या बालक ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित था: हां/नहीं।
- (iv) क्या बालक बाल श्रम से पीड़ित है: हां/नहीं।
- (v) क्या बालक, जो बाल श्रम से पीड़ित था, को बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण निधि या किसी अन्य स्कीम के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया है, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (vi) क्या बालक, जो दुर्व्यापार / ड्रग्स पेडलिंग / बाल श्रम से पीड़ित है या सड़कों पर घूमने वाला है, को परामर्श दिया गया है? हां/ नहीं

(vii) क्या बालक को प्रतिकर प्रदान किया गया है? हां/नहीं, यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

26. यदि बालक लैंगिक दुर्व्यवहार सहित किसी दुर्व्यवहार से पीड़ित है (यह यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुसंगत हो सकेगा)

- (i) क्या बालक को परामर्श दिया गया है?.....
- (ii) क्या ऐसे अपराधी /कर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
- (iii) क्या बालक, जो लैंगिक हमले का पीड़ित है, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन प्रतिकर स्कीम के अनुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है.....
- (iv) बालक को दिया गया कोई अन्य प्रतिकर या अनुतोष ?.....
- (v) कोई अन्य संप्रेक्षण.....

संस्थागत देखरेख में रखे गए बालक के लिए

27. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले तीन मास के लिए प्रति 14 दिन पर तैयार की जाने वाली और उसके पश्चात प्रत्येक मास में एक बार तैयार की जाने वाली)

[टिप्पण: प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का उपयोग करें]

1. परीवीक्षा अधिकारी / मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी / बाल कल्याण अधिकारी का नाम.
2. रिपोर्ट की अवधि.....
3. दाखिला संख्या.....
4. बोर्ड या समिति.....
5. प्रोफाइल संख्या.....
6. बच्चे का नाम.....
7. मौखिक परीक्षा का स्थान..... दिनांक.....
8. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बच्चे का सामान्य आचरण और प्रगति.....
9. इस फार्म के भाग (क) के चिन्ह 19 में वर्णित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बच्चे की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	आवश्यक भावनात्मक और मनोरंजन सहायता		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल		

6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व- देखभाल और जीवन कौशल		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	कोई अन्य महत्वपूर्ण अनुभव जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं जैसेकि दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, माता- पिता द्वारा उपेक्षा, स्कूल में तंग किया जाना, आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही :-
11. बंधपत्र की शर्तों का परिवर्तन.....
12. बच्चे के निवास स्थान का परिवर्तन.....
13. अन्य मामले, यदि कोई है.
14.को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि
15. टिप्पणियां (यदि कोई है) सहित पर्यवेक्षण का परिणाम.....
16. माता-पिता या संरक्षक या किसी स्वस्थ व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चे को पर्यवेक्षण पूरा होने के बाद रहना है, का नाम और पता.....
रिपोर्ट की तारीख.....
परीवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

28. पूर्व जारी की गई रिपोर्ट (जारी किए जाने से 15 दिन पूर्व तैयार की जानी है):

1. स्थानांतरण के स्थान तथा स्थानांतरण/ जारी किए जाने के स्थान पर उत्तरदायी संबंधित प्राधिकरण का विवरण:
2. विभिन्न संस्थानों / परिवार में बच्चे को रखे जाने का विवरण:.....
3. प्राप्त किया गया प्रशिक्षण और हासिल किया गया कौशल:
4. बच्चे की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जानी है, भाग (ख) देखें)
5. बच्चे की पुनर्वास और वापसी योजना (बच्चे की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जानी है)

क्र.सं.	श्रेणी	बच्चे की पुनर्वास और वापसी की योजना
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा	
2.	स्वास्थ्य और पोषण	
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक	
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण	
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल	
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध	
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और	

	दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व देखभाल और जीवन कौशल प्रशिक्षण	
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
9.	कोई अन्य	

6. निर्मुक्ति / स्थानांतरण / पुनः वापसी की तारीख.....
7. अनुरक्षक की मांग, यदि अपेक्षित हो तो.....
8. अनुरक्षक की पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि.....
9. सम्भाव्य प्लेसमेंट / प्रायोजकता सहित सिफारिश की गई पुनर्वास योजना.....
10. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए परीवीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन का विवरण.....
11. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए चिन्हित गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न करें)
12. प्रायोजकता अभिकरण / व्यक्तिगत प्रायोजन, यदि कोई है तो उसका विवरण.....
13. प्रायोजक अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजन के बीच समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न).....
14. जारी किए जाने से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट.....
15. कोई अन्य सूचना.....

29. बच्चे की पश्चातवर्ती निर्मुक्ति/प्रतायावर्तन रिपोर्ट:

1. बैंक खाते की स्थिति: बंद/हस्तांतरित
2. बच्चे की कमाई और सामान: बच्चे या उसके माता पिता/संरक्षक को सौंपी गई - हां/नहीं
3. बच्चे को छोड़े जाने के बाद अनुवर्तन हेतु चिन्हित परीवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता / गैर-सरकारी संगठन की प्रथम वार्ता रिपोर्ट:.....
4. पुनर्वास और वापसी योजना के संदर्भ में की गई प्रगति.....
5. बच्चे के प्रति परिवार का व्यवहार / रवैया.....
6. बच्चे का सामाजिक स्थान, विशेष रूप में पड़ोसियों/समुदाय का रवैया.....
7. बच्चा अपेक्षित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है.....
8. क्या बच्चे को स्कूल या रोजगार में दाखिल कराया गया है? स्कूल/संस्थान / किसी अन्य एजेंसी की तारीख और नाम बताएं? हां/नहीं.....
9. क्रमशः दो माह और छह माह के पश्चात बच्चे के साथ दूसरी और तीसरी बातचीत रिपोर्ट:.....
10. सामाजिक मुख्यधारा के लिए प्रयास और इसके बारे में बच्चे की राय / विचार.....

गैर-संस्थागत देखभाल (दत्तकग्रहण के सिवाय) में रखे गए बच्चों के लिए

1. संरक्षक का नाम (यदि लागू हो तो)
2. माता-पिता / संरक्षक की राष्ट्रीयता
3. माता-पिता / संरक्षक का धर्म.....
4. बच्चे की राष्ट्रीयता-.....
5. बच्चे का आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पैनकार्ड का विवरण
6. बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पान कार्ड का विवरण.....
7. जाति.....
8. बोली जाने वाली भाषा.....
9. शिक्षा का स्तर.....
10. क्या बच्चे को सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा/राहत प्रदान की गई है.....
11. बच्चे को कहां रखा जा रहा है?
(क) संरक्षक (ख) फोस्टर केयर (ग) प्रायोजकता (ख) एकल माता-पिता
12. क्या बच्चे को एकल माता-पिता/संरक्षक द्वारा समर्पित किया जा रहा है?
क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं
13. यदि हां, तो क्या समर्पण डीड बना ली गई है?
क. हां ख. नहीं
14. शिक्षा- (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो
 - (i) क्या बच्चे को स्कूल या विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है?
 - (ii) यदि बच्चे को नामांकित किया गया है तो.....
 - (क) विद्यालय का नाम.....
 - (ख) सरकारी/निजी.....
 - (ग) कक्षा.....
 - (iii) उक्त स्कूल के शिक्षा कोर्ड के के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
 - (iv) यदि बच्चे को विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है तो,
 - (क) वह केंद्र रिहायशी या गैर-रिहायशी.....
 - (ख) नामांकन की अवधि.....
 - (v) क्या बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत विद्यालय में नामांकित किया गया है? हां/नहीं/लागू नहीं
 - (vi) क्या बाल कल्याण समिति ने उस विद्यालय, जिसमें बच्चा पढ़ रहा था, में शिक्षा को जारी रखने की सिफारिश की है? हां/नहीं

- (vii) सिफारिश के आधार पर क्या बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा था, उसी विद्यालय में शिक्षा को जारी रखे हुए है? हां/नहीं
- (viii) क्या बाल कल्याण समिति ने बच्चे के लिए विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश की है ? हां नहीं (क) यदि हां, तो बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए क्या कारण बताए गए हैं?.....
- (ix) क्या बच्चे को नए विद्यालय में दाखिल/स्थानांतरित कर दिया गया है? हां/ नहीं
- (x) शिक्षा कोड के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली सहित नए विद्यालय का विवरण.....
- (xi) पता और संपर्क विवरण.....
- (xii) वह कक्षा जिसमें दाखिला/स्थानांतरण लिया गया है.....
- (xiii) वह कक्षा जिसमें बच्चे को पिछले विद्यालय में ट्रांसफर किया गया है.....
- (xiv) बाल कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर, बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत लाभ प्रदान कर रहा है? हां/ नहीं
- (xv) क्या बच्चे को उपयुक्त सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ? हां/ नहीं
- (xvi) क्या बच्चा छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा है? हां/ नहीं
- (क) यदि हां, तो छात्रवृत्ति का नाम बताएं.....
- (ख) छात्रवृत्ति की राशि.....
- (xvii) बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए की गई कोई टिप्पणी और सिफारिश

15. प्रायोजकता

- (i) क्या बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजकता के लिए बच्चे की सिफारिश की गई है? क. हां ख. नहीं (यदि नहीं, तो इसके पश्चातवर्ती प्रश्न भी लागू होंगे)
- (ii) क्या बच्चे की प्रायोजकता को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। क. हां ख. नहीं
- (iii) प्रायोजकता की प्रकृति: i. सरकारी..... ii. निजी.....
- (iv) प्रायोजकता का प्रकार :
- (क) व्यक्तिगत से व्यक्तिगत प्रायोजकता
- (ख) समूह प्रायोजकता
- (ग) सामुदायिक या संगठनात्मक प्रायोजकता
- (घ) प्रायोजकता के माध्यम से परिवारों को सहायता
- (ङ) बाल गृह और विशेष गृह को सहायता
- (च) निम्नलिखित के द्वारा प्रायोजकता
- (i) संस्था

- (ii) कंपनी
- (iii) निकाय, पब्लिक या प्राईवेट है।

(छ) कोई अन्य

- (v) क्या बालक ने प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन धन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है :
क. हां ख. नहीं
- (vi) प्रायोजन की सिफारिश अवधि:
- (vii) कोई अन्य जानकारी :

16. बालक की पुनः वापसी :

- (i) क्या बालक को निम्नलिखित को वापस किया जा रहा है:- एकल माता-पिता / जैविक माता-पिता/संरक्षक/संबंधी
- (ii) उस व्यक्ति का नाम जिसे बालक को वापस किया जा रहा है.....
- (iii) उस व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे, जिसे बालक वापस किया जा रहा है.....
- (iv) यदि बालक संरक्षक/संबंधी को वापस किया जा रहा है, तो :-
- (v) संरक्षक / संबंधी के साथ बालक का संबंध.....
- (vi) क्या संरक्षक / संबंधी के पास अपने स्वयं के बालक हैं? क. हां ख. नहीं
- (vii) यदि हां, तो संरक्षक/संबंधियों के बालकों के ब्यौरे.....
- (viii) संरक्षक / संबंधी की सामाजिक/वित्तीय स्थिति.....
- (ix) क्या बालक, उसी राज्य, जहां वह पाया गया था, में रहेगा ? हां/नहीं
- (x) क्या बालक को पुनः वापसी हेतु किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है? हां/नहीं, यदि हां, तो:.....
- (क) उस राज्य का नाम जहां पर बालक को पुनः वापस किया जा रहा है.....
- (ख) बालक को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण के लिए एस्कार्ट की आवश्यकता है:
यदि हां, एस्कार्ट का पहचान दस्तावेज जैसे कि चालान अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड
आदि.....
- (ग) क्या उस राज्य, जहां बालक को स्थानांतरित किया जा रहा है, के संबंधित जिले का जिला बाल संरक्षण एकक/ बाल कल्याण समिति को स्थानांतरण आदेशों के बारे में सूचित कर दिया गया है? हां/नहीं
- (घ) क्या बालक के दस्तावेजों / सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट/व्यक्तिगत देखभाल योजना/बाल कल्याण समिति के आदेशों को राज्य संबंधित बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित किर दिया गया है? हां/नहीं
- (ङ) उस बाल कल्याण समिति के ब्यौरे जिसको मामला अंतरित किया गया है.....
- (xi) बाल कल्याण समिति ने पुनः वापसी के पश्चात बालक के अनुवर्तन की सिफारिश की है :
हां/नहीं

- (xii) बालक के बैंक खाते की प्रास्थिति.....
- (xiii) क्या बालक के सामान को बालक/ माता-पिता/संरक्षक को सौंप दिया गया है : हां/नहीं
- (xiv) पहचान पत्र और प्रतिकर:

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जहां लागू हो वहां निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड			
विकलांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मुआवजा प्राप्त			

बालक की पुनः वापसी

- (i) क्या बालक को पुनः वापस किए जाने की आवश्यकता है? हां नहीं
- (ii) यदि हां, तो क्या यह पुनः वापसी निम्नलिखित के लिए हैं-
- अन्तः जिला
 - अन्तःराज्य
 - अन्तःदेशीय
- (iii) क्या बालक की पुनःवापसी में संबंधित सूचना के पश्चात में निम्नलिखित को सूचित कर दिया गया है :-
- जिला मजिस्ट्रेट
 - राज्य सरकार
 - केंद्र सरकार
- (iv) क्या बालक की पुनः वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है? हां/नहीं
ब्यौरे.....
- (v) क्या पुनः वापसी किए जाने वाले बालक के ब्यौरे के बारे में यथास्थिति, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित कर दिया गया है?
- (vi) कोई अन्य सिफरिश.....

.....
परीवीक्षा अधिकारी/

बाल कल्याण अधिकारी / जिला बाल कल्याण एकक के हस्ताक्षर

मुहर और सील, यदि उपलब्ध हो तो